रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 470] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 21, 2002/वैशाख 31, 1924

No. 470] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 21, 2002/VAISAKHA 31, 1924

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मई, 2002

का.आ. 550(अ).— भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं0 का0आ0 114(अ), तारीख 19 फरवरी, 1991 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना गया है) में प्रस्तावित संशोधनों पर, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और धारा 6 के अधीन भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं0 51(अ), तारीख 11 जनवरी, 2002 प्रकाशित की गई थी, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से आमंत्रण करते हुए, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिन के भीतर आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे । यह अधिसूचना भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में तारीख 11 जनवरी, 2002 को प्रकाशित की गई थी ;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 23 जनवरी, 2002 को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राप्त हुए सभी आक्षेपों और सुझावों पर सम्यक् रूप से विचार कर लिया गया है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) तथा धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिसूचना में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :--

संशोधन

1. उक्त अधिसूचना के, (i) पैरा 1 के उपपैरा (3) में,-

(1) "इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए" के साथ आरंभ होने वाले और "इस संबंध में जारी किए गए साधारण दिशानिर्देशों के अनुसार समान रूप से किया जाएगा।" के साथ समाप्त होने वाले भाग को खंड (i) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा ;

(2) इस प्रकार संख्यांकित खंड (i) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(ii)नदियों, संकरी खाड़ियों और पश्चजल की दशा में उच्च ज्वार रेखा से दूरी दोनो ओर लागू होगी और उसमें तटीय परिक्षेत्र प्रबंध योजनाएं तैयार करते समय प्रत्येक मामले के आधार पर ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, उपांतरित किया जा सकेगा । परन्तु यह दूरी 100 मीटर से या संकरी खाड़ी, नदी या पश्चजल की चौड़ाई से जो भी कम हो, कम नहीं होगी । वह दूरी जिस तक नदियों, संकरी खाड़ियों तथा पश्चजल के साथ विकास को विनियमित किया जाना है उस दूरी से विनियमित किया जाएगा जिस तक सागर ज्वार प्रभाव का अनुभव किया जाता है, जो प्रति हजार पांच पार्ट लवणता संकेन्द्रण के आधार पर अवधारित किया जाएगा । इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए लवणता मापन वर्ष की शुष्कतम अवधि के दौरान किया जाएगा और वह दूरी जिस तक सागर ज्वार प्रभाव का अनुभव किया जाता है, स्पष्ट रूप से पहचानी जाएगी और तद्नुसार तटीय परिक्षेत्र प्रबंध योजनाओं में सीमांकित की जाएगी ।";

(iii) टिप्पण का लोप किया जाएगा ।

2. उक्त अधिसूचना के पैरा 2 के उपपैरा (i) में,-

(i) मद (क) के अंत में आने वाले "और" शब्द का लोप किया जाएगा ;

(ii) मद (ख) में, अंत में "और" शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा ;

(iii) मद (ख) के पश्चात् निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :– "(ग) विशेष आर्थिक परिक्षेत्र के तटीय विनियमन परिक्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी और अन्य सेवा उद्योगों के क्षेत्र में अप्रदूषणकारी उद्योग"

3. उक्त अधिसूचना के पैरा 3 में,-

(क) उपपैरा (1) के अंत में निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"परियोजना प्राधिकारियों से अपेक्षित दस्तावेजों और आंकड़े की प्राप्ति से नब्बे दिन की अवधि के भीतर निर्धारण पूरा कर लिया जाएगा और उसके पश्चात् विनिश्चय तीस दिन के भीतर संसूचित किया जाएगा" ।

(ख) उपपैरा (2) में, मद (iii) के पश्चात्, निम्नलिखित मदें अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :–

"(iiक) पैरा 6 के उपपैरा (2) में यथाविनिर्दिष्ट सीआरजेड क्षेत्र में आवास स्कीम ;

(iiख) दुर्लभ खनिजों का खनन ;

(iiग) एसईजेड के मास्टर प्लान पर आधारित ऐसे क्रियाकलापों पर भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के एक कालिक अनुमोदन के अधीन रहते हुए एसईजेड में विनिर्दिष्ट क्रियाकलाप, प्रसुविधाएं, सीआरजेड में अवस्थित होने वाली परियोजनाओं का स्थानिक वितरण और ऐसी अन्य जानकारी जो इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो ।

4. उक्त अधिसूचना के उपाबंध I के पैरा 6 के उपपैरा (2) में –

(i) शीर्षक सीआरजेड -I के अधीन ,

(क) "और (ग) संनिर्माण" शब्दों, कोष्ठकों और अक्षर के स्थान पर "(ग) संनिर्माण" कोष्ठक, अक्षर और शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) "पश्चिमी बंगाल राज्य तटीय परिक्षेत्र प्रबंध प्राधिकारी द्वारा" शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

(ii) शीर्षक सीआरजैड-II के अधीन

(क) खंड (i) मे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत में अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु यह और कि विद्यमान सड़कों/प्राधिकृत संरचनाओं, अनुमोदित तटीय परिक्षेत्र प्रबंध योजनाओं में प्रस्तावित सड़कों, नई सड़कों पर आधारित सन्निर्माण के संबंध में उपरोक्त निर्बंधन राज्य नगरीय विकास प्राधिकरणों की उन आवास स्कीमों पर लागू नहीं होंगे, जो चरणों में कार्यान्वित की गई हैं जिनके लिए सन्निर्माण कार्यकलाप कम से कम एक चरण में 19.2.1991 से पूर्व प्रारंभ हुआ था और राज्य/स्थानीय प्राधिकरणों से सभी सुसंगत अनुमोदन 19.2.1991 से पूर्व अभिप्राप्त कर लिए गए थे, ऐसे सभी मामलों में प्रत्येक मामले के आधार पर पर्यावरण और वन मंत्रालय का विनिर्दिष्ट अनुमोदन आवश्यक होगा ।"

(iii) शीर्षक सीआरजैड-III के अधीन ,-

(क) खंड (i) में,-

(अ) खंड (i) में "सत्त्व ज्वार रेखा से 200 मीटर तक के क्षेत्र को विकास क्षेत्र नहीं माना जाना" शब्दों के पश्चात् "परंतु यह है कि उक्त क्षेत्र किसी अधिसूचित पत्तन सीमाओं या किसी अधिसूचित विशेष आर्थिक जोन के भीतर नहीं आता हो" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(आ) "राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा यथामिलित प्राधिकारी" से प्रारंभ होने वाले और "सुविधाओं के विनिर्माण की अनुज्ञा दे सकेगा" के साथ समाप्त होने वाले शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(इ) अंतिम वाक्य में "उपयोग" शब्द के स्थान पर "उपयोग/क्रियाकलाप" शब्द रखे जाएंगे और वन प्रान्त शब्द के पश्चात् "तूलर्न खनिजों का खनन" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

(ख) खंड (i) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंतरस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(ia) औषधालयों, विद्यालयों, सार्वजनिक वर्षा शरणालयों, सामुदायिक शौचालयों, पुलों, सड़कों के संन्निर्माण और जल प्रदाय, जल निकास, मलवहन की सुविधाओं की व्यवस्था जो स्थानीय निवासियों के लिए अपेक्षित हैं, केन्द्रीय सरकार या राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के लिए गठित तटीय क्षेत्र प्रबंध प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक मामले के आधार पर अनुमति दी जा सकेगी :

परन्तु घरेलू मल शोधन और व्ययन के लिए एककों या उनके सहायकों का संन्निर्माण इस अधिसूचना के पैरा 2 के उपपैरा (iv) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी अनुज्ञेय होगा ।"

(ग) खंड (iv) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(v) अधिसूचित एसईजेड में, सूचना प्रौद्योगिकी और अन्य सेवा उद्योगों के क्षेत्र में अप्रदूषणकारी उद्योगों का निर्माण अलवणीकरण संयंत्रों, समुद्र तट रिसोर्टों और एसईजेड प्राधिकरण द्वारा उसके मास्टर प्लान में यथाअनुमोदित एसईजेड के संवर्धन के लिए आवश्यक सुसंगत आमोद-प्रमोद प्रसुविधाओं का संन्निर्माण अनुज्ञात किया जा सकेगा ।"

[फा. सं. एच-11011/6/97 आईए II]

डॉ. वी. राजगोपालन, संयुक्त सचिव

प्रधान अधिसूचना दिनांक 19 फरवरी, 1991 की संख्या का.आ. 114(अ) के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी और बाद में इसे निम्नलिखित के तहत संशोधित किया गया था :—

(1) का.आ. 595(अ) दिनांक 18 अगस्त, 1994

(2) का.आ. 73(अ) दिनांक 31 जनवरी, 1997

(3) का.आ. 494(अ) दिनांक 9 जुलाई, 1997

(4) का.आ. 334(अ) दिनांक 20 अप्रैल, 1998

(5) का.आ. 873(अ) दिनांक 30 सितम्बर, 1998

(6) का.आ. 1122(अ) दिनांक 29 दिसम्बर, 1998

(7) का.आ. 998(अ) दिनांक 29 सितम्बर, 1999

(8) का.आ. 730(अ) दिनांक 4 अगस्त, 2000

(9) का.आ. 900(अ) दिनांक 29 सितम्बर, 2000

(10) का.आ. 329(अ) दिनांक 12 अप्रैल, 2001

(11) का.आ. 988(अ) दिनांक 3 अक्तूबर, 2001